

राजस्थान सरकार
राज्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प

175

-:आदेश:-

दिनांक 18/03/19

प्राची के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी **दियातरा** व भूअनि **दियातरा** की रिपोर्ट तथा तहसीलदार **कोलायत**/नायब तहसीलदार की अनुमति के आधार पर राजस्थान अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम **चक सेठिया** तहसील **कोलायत** जिला **बीकानेर** की जमाबन्दी सम्यत् 2072-75 में खाता संख्या 136 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	चक सेठिया	136	$\frac{293}{207} - 5.46$ मजरूआ 0.51 बजड 4.95	$\frac{313}{207} - 3.16$ मजरूआ 0.51 बजड 2.65 $\frac{314}{207} - 2.30$ बजड 2.30 विला 2 - 5.46

()
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
कोलायत जिला-बीकानेर

दिनांक :-

प्रतिलिपि :-

- 1 तहसीलदार (श.) **कोलायत** को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शोध किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
- 2 प्रार्थी श्री को सूचनाार्थ।
- 3 रक्षित पत्रावली।

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी